न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 688/2026

सलमान पुत्र श्री नुरदीन, उम्र करीबन 19 साल, निवासी पण्डित बास, मौजदीका, लोहारवाडी, पुलिस थाना सदर, जिला अलवर (राज.)

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---विपक्षी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 193/2026, पुलिस थाना कोतवाली, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री मौहम्मद रहमुद्दीन, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 08.06.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त सलमान की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 193/2026, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी मोरमुकुट सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, अलवर ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 15.04.2026 को उसके द्वारा साईबर फ्रॉड में उपयोग किये गये बैंक खाता संख्या 442202120003079 के खाता धारक सोहिल खान को अनुसंधान हेतु तलब किया जाकर,उससे साईबर ठगी के प्रयोग में लिये जा रहे उक्त खाता नंबर के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने उक्त खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अलवर में खुलवाया जाना बताया। उक्त खाता नंबर 442202120003079 को एन.सी.आर.पी. पोर्टल पर चैक किया, तो उसके संबंध में एक शिकायत 51,000/- रूपये के फ्रॉड के संबंध में दर्ज होना पाई गई। उक्त रूपयों के फ्रॉड के बारे में शख्स सोहिल खान से पूछा, तो उसने बताया कि उसके बैंक अकाउंट में उसके दोस्त पुष्पेन्द्र

शर्मा ने पैसे डलवाये थे, जिन पैसों को उसने पुष्पेन्द्र के कहने पर, उसके दोस्त सलमान को दे दिया था .....इत्यादि।

3- उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 193/2026, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर पर अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 01.06.2026 को गिरफ्तार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में गलत व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। एफ.आई.आर. में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साईबर अपराध किये जाने के तथ्य अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध करने वाले व्यक्ति क नाम सोहिल खान अंकित किया गया है। वास्तव में सोहिल खान द्वारा घटना कारित की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का सोहिल खान से कोई संबंध नहीं है, न ही प्रार्थी/अभियुक्त का घटना को कोई संबंध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त 19 वर्ष का नवयुवक है, जिसके पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर साईबर अपराध कारित किया गया है। अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी मां के खाते में साईबर अपराध की राशि प्राप्त करना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सह-अभियुक्त के साथ साईबर अपराध में लिप्त रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराध निरंतर बढते जा रहे हैं। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, आपराधिक षडयंत्र रचते हुये, छोटे संगठित अपराध कारित कर, सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर सूट का विज्ञापन देकर, उनके द्वारा ऑर्डर करना और होम डिलीवरी नहीं होने पर, अपना पे.टी.एम. के बार कोर्ड भेजकर, लोगों को बेईमानी से उत्प्रेरित कर, उनसे छल से खाते में रूपये प्राप्त करने संबंधी धारा 318(4), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट के आरोप हैं। केस डायरी के अवलोकन से हम पाते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साईबर अपराध कारित करने का तथ्य नहीं बताया गया है। जो मोबाईल फोन साईबर अपराध में जब्त किया गया है, वह भी प्रार्थी/अभियुक्त का होना नहीं पाया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना भी प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 01.06.2026 को गिरफतार किया जाकर, वह विगत करीबन 08 दिनों से निरंतर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

7- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त सलमान पुत्र श्री नुरदीन की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर, आदेश दिया जाता है कि, यदि प्रार्थी/अभियुक्त, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की सन्तुष्टि बाबत पचास–पचास हजार रूपये की राशि की दो मौतबिर जमानतें एवं एक लाख रूपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर